



झारखण्ड JHARKHAND

812509

मेमो ऑफ पार्टीशन

हमलोग ओम प्रकाश मालानी, जय प्रकाश मालानी, महेश कुमार मालानी सभी लोग के पिता स्व० हनुमान प्रसाद मालानी तथा शोभा देवी मालानी, पति-श्री ओम प्रकाश मालानी शशि देवी मालानी, पति-श्री जय प्रकाश मालानी एवं किरण देवी पति श्री महेश कुमार मालानी, जाति महेश्वरी पेशा व्यापार सभी निवासी जशपुर रोड, गुमला थाना गुमला जिला गुमला राज्य झारखण्ड के रहने वाले है।

आगे हमलोगों ने तीन विबधित बिक्री पट्टा के माध्यम से मौजा-गुमला लोहरदगा रोड (थाना चौक के नजदीक)थाना गुमला जिला गुमला स्थित जमीन जिसका खाता सं०-262, प्लॉट नं०-544, रकबा-041 डी० एकतालीस डिसमिल जमीन संयुक्त रूपया से खरीदा है इसके अतिरिक्त हमारे पास पिता स्व० हनुमान प्रसाद मालानी पिता स्व० नन्दलाल जी मालानी ग्राम गुमला जशपुर रोड गुमला, थाना गुमला, जिला गुमला, ने अपने जीवन काल में दो बिक्री पट्टा के माध्यम से मौजा गुमला जशपुर रोड गुमला, थाना गुमला, जिला गुमला स्थित जमीन खरीदे थे जिसका खाता नं०-119, प्लॉट सं०-736 है

जिसमें से हनुमान प्रसाद मालानी को बंटवारा के बाद साढे पाँच डिसमिल जमीन हिस्से के रूप में प्राप्त हुई है।

वर्तमान स्थिति यह है कि हनुमान प्र० मालानी की मृत्यु हो चुकी है एवं हमलोग उनके पुत्र एवं पुत्रवधु की हैसियत से उनके कुल चल अचल सम्पति पर तथा हमलोगों के द्वारा तीन बिकी पट्टा संयुक्त रूपया के माध्यम से खरीदगी की गई जमीन पर हमलोग स्व० हनुमान प्रसाद मालानी के पुत्र एवं पुत्रवधु सुयुक्त रूप से दखलकार है।

इधर हमलोगों एवं हमारी पत्नीयों ने भविष्य की योजनाओं को देखते हुए अपने सगे संबंधियों एवं पंचों की सलाह से उपर वर्णित हमलोगों के कुल सम्पति का अलग अलग हिस्सों में बंटवारा कर लेना उचित एवं जरूरी समझा ताकि वर्तमान एवं भविष्य में भी सभी भाईयों एवं उनकी पत्नीयों के बीच आपसी सौहार्द एवं प्रेम भाव बनी रहें इसलिए हम तीनों भाईयों एवं हमारी पत्नीयों ने नीचे लिखे अनुसार दिनांक- 09.01.17 को आपस में बंटवारा कर लिया । जो कि 31.05.15 से तय चला आ रहा है ।

### सिडयूल (क)

हिस्सा ओम प्रकाश मालानी पिता स्व० हनुमान प्रसाद मालानी एवं शोभा देवी मालानी पति ओम प्रकाश मालानी ग्राम-जशपुर रोड गुमला थाना नं० 59 थाना व जिला गुमला।

जमीन गुमला लोहरदगा रोड गुमला थाना गुमला थाना न० 59 जिला गुमला।

खाता न०

प्लॉट न०

रकबा

262

544

18 डी.

चौहदी-उत्तर-गोपेश्वर गोप का मकान

दक्षिण-भुनेश्वर लाल

पूरब-लोहरादगा रोड गुमला

पश्चिम-हिस्स महेश कुमार मालानी

18 डी में से पंचों के समक्ष श्री ओमप्रकाश मालानी

व श्रीमती शोभा देवी मालानी की स्वीकृति से अधिकृत कब्जा क्षेत्र 6720 वर्ग फुट

विवरण - चौड़ाई पूरब की ओर - 50 फिट पश्चिम की ओर -55 फिट लंबाई - लगभग 130 फिट (औसतन)

उपरोक्त जमीन पर सामने पूरब की ओर लगभग 7 फुट 50 फुट का बरामदा को छोड़ कर मकान बन चुका है ।

नोट- आज के बाद 18 डी में जो भी जमीन कम है उसकी दावेदारी नहीं की जायेगी ।

उस जमीन के बीच में उत्तर दक्षिण लगभग 12 फीट चौड़ा रास्ता पुरब से पश्चिम लम्बा महेश कुमार मालानी के जमीन तक पश्चिम तरफ रहेगा।

सिडयूल (ख)

हिस्सा जय प्रकाश मालानी पिता स्व० हनुमान प्रसाद मालानी एवं शशि देवी मालानी, पति जय प्रकाश मालानी ग्राम-जशपुर रोड गुमला थाना व जिला गुमला।  
मौजा-गुमला जशपुर रोड थाना व जिला गुमला थाना नं० 59 की जमीन।

खाता न०

प्लॉट न०

रकबा

119

736

साढे पाँच डिसमिल

में स्थित पुरा मकान तथा दक्षिण तरफ का एक दुकान, उत्तर तरफ का साढे पाँच डिसमिल में से एक दुकान जो महेश कुमार मालानी को हिस्सा में दिया गया है। उसे छोडकर पुरा मकान जय प्रकाश मालानी एवं शशि देवी मालानी को दिया गया है।

सिडयूल (ग)

महेश कुमार मालानी पिता स्व० हनुमान प्रसाद मालानी एवं किरण देवी मालानी पति श्री महेश कुमार मालानी ग्राम-जशपुर रोड गुमला जिला गुमला के हिस्से का विवरण।

मौजा-गुमला जशपुर रोड गुमला थाना व जिला गुमला थाना नं० 59 जिला गुमला स्थित एक दुकान-

खाता न०

प्लॉट न०

रकबा

119

736

एक दुकान

पैमाई-जशपुर रोड की ओर की दुकान की चौड़ाई 15 फिट 1 इंच लम्बाई 38 फुट, 38 फुट जाने के बाद चौड़ाई 10 फीट 2 इंच हो जाती है। पुरब तरफ 19 फीट लम्बा है कुल 768 वर्गफुट है जो की सिर्फ दूकान है।

उत्तर मनोज मालानी का दुकान दक्षिण जय प्रकाश मालानी पुरब, जय प्रकाश मालानी, पश्चिम-गुमला जशपुर रोड।  
मौजा गुमला लोहरदगा रोड गुमला थाना गुमला जिला गुमला वार्ड नं0-13 में स्थित जमीन जिसका विवरण-

<u>खाता न0</u>	<u>प्लॉट न0</u>	<u>रकबा</u>
262	544	023 डी0

उत्तर-गोपेश्वर गोप, गौरी देवी दमयन्ती देवी दक्षिण भुनेश्वर लाल पुरब-ओमप्रकाश मालानी वो शोभा मालानी का हिस्सा पश्चिम-भुनेश्वर लाल

जमा रकबा- तेईस डिसमिल।

1, बंटवारा के अनुसार 12 फुट के रास्ता में कोई भी पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का सामान नहीं रखा जायगा तथा न ही कोई वाहन खडा किया जायगा यदि कोई भी पक्षकार उक्त गली में सामान या वाहन आदि रखते है तो दोषी माने जायेंगे तथा न्यायसंगत जुर्माना के देनदार होंगे। रात में भी किसी भी प्रकार का वाहन नहीं रहेगा। पानी के सीजन में भी उक्त रास्ते में सामान नहीं रखेंगे।

2 महेश कुमार मालानी के हिस्से की जमीन में किसी भी प्रकार का कचरा नहीं डाला जायगा।

3 मुख्य द्वार पर लोहा का ग्रील गेट दरवाजा की चाभी अंदर की 23 डी0 वाले जमीन के मालिक या मालिकों को भी दे दी जायगी।

4 यदि श्री ओम प्रकाश मालानी कोई गार्ड रखते है तो उसकी तनखाह श्री ओम प्रकाश मालानी ही देंगे।

5, उक्त रास्ते पर अन्दर के रहवासियों के लिए सामग्री लेकर आने जाने वाले वाहनों का आवागमन स्वीकार्य होगा।

6 नल, बिजली, व निकासी का पानी वगैरह का रास्ता 2 फुट वाली गली जो उत्तर दिया में है में अंडरग्राउण्ड करके उपयोग किया जायगा जिसकी एक चाभी महेश कु मालानी के पास भी रहेगी।

7 मार्केट या दुकान का नाम लिखने के लिए श्री महेश कुमार मालानी को मुख्य द्वार के उपर जगह 12 फुट X 4 फुट तक का जगह दिया जायगा।

8 यदि ट्रक द्वारा कोई माल आता है तो खाली होने तक उक्त वाहन दुकान के आगे लगाया जा सकता है।

9 श्री ओम प्रकाश मालानी के हिस्से की जमीन के पश्चिम छोर पर जो गेट श्री ओम प्रकाश मालानी ने लगवाया है उस पर ताला श्री महेश कुमार मालानी का लगा रहेगा तथा अंदर मकान बन जाने के उपरान्त गेट हटा दिया जायगा।

10 किसी भी उत्सव के अवसर पर गली में सामान रखने का अधिकार दोनों पक्षों को होगा

11 लोहरदगा रोड स्थित जमीन में श्री ओम प्रकाश मालानी द्वारा लगभग 12 फुट का रास्ता छोडा गया है उस रास्ते के उपर की छत का मालिकाना हक श्री ओम प्रकाश मालानी का होगा।

श्री प्रकाश मालानी  
श्री मालानी

श्री ओम प्रकाश मालानी  
श्री मालानी

महेश कुमार मालानी  
किशन मालानी

12 श्री महेश कुमार मालानी अपनी 23 डी जमीन में सामने पूरब की ओर तीन फुट जमीन खाली छोड़ कर किसी भी प्रकार का निर्माण करेगे या विक्रय करेगे । उक्त तीन फुट जमीन पर मालिकाना हक श्री महेश कुमार मालानी का ही रहेगा ।

~~13~~ ~~किसी भी प्रकार का निर्माण करेगी या विक्रय करेगी ।~~ ~~उक्त तीन फुट जमीन पर मालिकाना हक श्री महेश कुमार मालानी का ही रहेगा ।~~  
13 ~~किसी भी प्रकार का निर्माण करेगी या विक्रय करेगी ।~~ ~~उक्त तीन फुट जमीन पर मालिकाना हक श्री महेश कुमार मालानी का ही रहेगा ।~~  
रहेगा । Jay Prakash Malani: ५१०१ ३५११११११११ - ३१/११/१७

यदि किसी विशेष परिस्थिति वश किसी हिस्सेदार को अपने हिस्से की जमीन या मकान बेचना पड़े तो अपने भाईयों से पहले पुछेगा अगर उन्हें बाजार रेट स्वीकार होगा तो पहले उन्हें बेचना होगा अपने भाई नही लेना चाहें तो किसी हिन्दु से ही बेचेंगे। अब तीन भाई व उनकी पत्नियां अपने अपने हिस्से की जायदाद मकान पर शान्तिपूर्वक दखलकार रहकर अपने अपने नाम से दाखिल खारीज करा लेंगे अब किसी एक हिस्से से किसी भी प्रकार का हक वास्ता सरोकार नही है और न होगा और न करेगे।

सभी हिस्सेदार सोच समझकर स्वास्थ मन से बिना किसी लोभ या प्रलोभन या डर से आये बंटवारा कर लिया और बंटवारा का अपनी सम्पती को बैंक में गिरवी रखने का बेचने का सम्पूर्ण अधिकार भी रहेगा कागजात पर हस्ताक्षर पचों एवं गवाहों के समक्ष समझकर पढकर ठीक पाकर कर दिया कि भविष्य में काम आवें।

गवाह:-

Sandeep Malani  
३१/११/१७

Sayen Malani  
३१/११/१७

Satish Malani  
३१/११/१७

Manoj Malani  
३१/११/१७

Usha Shandla  
३१/११/१७

Prakash Malani  
३१/११/१७

०९-०१-१७

सभी पक्षों का हस्ताक्षर

~~३१/११/१७~~

शोभा मालानी

Jay Prakash Malani

शशि मालानी

महेश कुमार मालानी

मिरन मालानी



सत्यमेव जयते  
भारत सरकार



आधार

**भारत सरकार**  
**Unique Identification Authority of India**

नामांकन क्रम / Enrollment No 1025730037/12588

To,  
शोभा मलानी  
Shobha Malani  
W/O: Om Prakash Malani  
h.no-2  
jashpur road gumla  
Gumla  
Gumla Gumla Gumla  
Jharkhand 835207

07/10/2012

Ref: B42 / 23D / 894698 / 895730 / P



SH411432714DF



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

**7995 0105 9029**

**आधार – आम आदमी का अधिकार**



भारत सरकार



शोभा मलानी  
Shobha Malani  
जन्म वर्ष / Year of Birth : 1960  
महिला / Female



**7995 0105 9029**

**आधार – आम आदमी का अधिकार**